न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 22.01.2021

किशन लाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी नयागांव ब्राहमणो का वास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 05.10.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 459,533 रकबा 1.24 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राहमणो का वास पर पश्चातवर्ती अतिकमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह प्रिन्टेड फार्म पर है। खाली स्थान की पूर्ति कर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे कब्जा डोल अंकित किया है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कब्जा नही है। डोल प्राकृतिक रूप से मौके पर स्थित है। अपीलांट द्वारा मौके पर कोई काश्त नही की है। पूर्व रिपोर्ट मे भी कब्जा डोल अंकित है अर्थात कब्जा नही हटाया है। वैसे भी जो प्राकृतिक रूप से डोल बनी हुई है,उसमे भूमि का कटाव नही होता है एंव पानी भी रूकता है जो चरागाह के उपजाउ पन के लिये लाभदायक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अपीलांट को गत वर्ष कौनसी पत्रावली मे बेदखल किया गया का उल्लेख नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

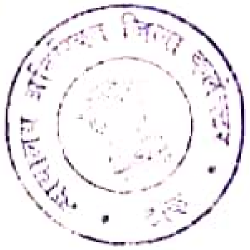

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 459,533 रकबा 1.24 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राहमणो का बास तहसील टोडारायसिंह पर कब्जा डोल कर अतिक्रमण किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की प्रोपर तामिल भी नही हुई है। अपीलांट द्वारा कब्जा छोडने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट कब्जा डोल बावत की गई है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अंकित किया है कि "बतौर शास्ति आरोपित की जाती है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान व रकबे से बेदखली के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रकबे में खडी फसल को राज हित में जब्त सरकार करने, वसूली, खडी फसल को नीलामी वास्ते स्वीकृती एक सप्ताह में पेश करने हेतु आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को दिये जाते है"। अपीलांट को जारी नोटिस की पुश्त पर नोटिस लेने से मना किया अंकित है,परन्तु तामिल कुन्निदा के हस्ताक्षर नही है। पटवारी द्वारा कब्जा डोल की रिपोर्ट पेश की है,परन्तु न्यायालय द्वारा फसल निलामी के आदेश पारित किये गये है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

25-3-21
(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner